न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

14/2024
एमएस : 2024/37

अरविन्द कुमार पुत्र श्री बनवारीलाल जाति विश्नोई साकिन 55 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।

—:वादी

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र श्री दुलीचन्द्र जाति जाट साकिन 12 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
2. अमीचन्द्र पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट साकिन ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. अश्वनी कुमार पुत्र श्री भजनलाल जाति जाट साकिन ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राज.।
4. घनश्याम पुत्र श्री भजनलाल जाति जाट साकिन ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राज.।
5. त्रिवेणी पुत्री श्री दुलीचन्द्र जाति जाट साकिन ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राज.।
6. मुखराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट साकिन ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राज.।
7. मोहनी देवी पत्नी भजनलाल जाति जाट साकिन ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राज.।
8. रविना पुत्री भजनलाल जाति जाट साकिन ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राज.।
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। —:प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 1955</u>

तारीख रजू 22.02.2024

उपस्थितअधिवक्तागण

1. **श्री अरूण कुमार अधि. वादी।**
2. **प्रतिवादीगण एकपक्षीय कार्यवाही।**

—: <u>निर्णय</u> :— दिनांक : 15.07.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के नाम से संयुक्त खाता में वाके चक 32 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर का खाता संख्या 105/146 मुरब्बा नं. 58 पं.नं. 207/306 के कि.नं. 2/2 ता 25 की कुल 5.641 है. बारानी भूमि खातेदारी रिकार्ड में दर्ज हैं। वादी के नाम उक्त भूमि में 506/5641 हिस्सा यानि .506 है. नहरी भूमि खातेदारी रिकार्ड में दर्ज है, उक्त भूमि को वादी ने जरिये बैयनामा दिनांक 05.07.2023 को अनिल कुमार पुत्र श्री दुलीचन्द्र जाति जाट साकिन ठाकरी तहसील रायसिंहनगर से खरीद की हुई है उक्त बैयनामा उप पंजीयक रायसिंहनगर से रजिस्टर्ड शुद्वा है। वादी के कब्जा काश्त में संयुक्त खाता के मुरब्बा नं. 58 पं.नं. 107/306 के कि.नं. 3/0.051है., कि.नं. 4/0.253, कि.नं. 5/0.202है. इस प्रकार कुल 0.506 है. बारानी भूमि कब्जा काश्त में है, उक्त कृषि भूमि पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काश्त में थी और बैयनामा की दिनांक से वादी के कब्जा काश्त में है। वादी ने प्रतिवादी संख्या [illegible] उक्त भूमि किलेवाईज खाता विभाजन करने के लिए दिनांक 10.02.2024 को [illegible] कि [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 आश्वासन देते रहे और बाद [illegible] इंकार हो गये और धमकी दी कि वे अतिशीघ्र इस भूमि को किसी अन्य को बेचा [illegible] कब्जा किसी अन्य को सुपुर्द कर देगें, तुम्हे जो करना है कर लो, बस यही [illegible] है बिनाये दावा मुझ वादी को उक्त कृषि भूमि मेरे नाम से राजस्व रिकार्ड में [illegible] के रोज से प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 9 भू. स्वामी है, इसलिए आवश्यक पक्षकार होने के कारण उसे पक्षकार बनाया गया है इसलिए वादी को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय की शरण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.30 16:44:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

आना पड रहा है। कि वादी का वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा उचित कोर्ट फीस पर पेश है व अन्दर मियाद पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्न प्रकार से फैसल व डिक्री फरमाया जावे कि चक 32 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर का खाता संख्या 105/146 मुरब्बा नं. 58 पं.नं. 207/306 के कि.न. 2/2 ता 25 की कुल 5.641 है. बारानी भूमि में मुरब्बा नं. 58 पं.न. 107/306 के कि.न. 3/0.051 है. कि.नं. 4/0.253 है., कि.नं. 5/0.202 है. इस प्रकार कुल 0506 है. बारानी भूमि का किलेवाईज खाता विभाजन किया जाकर उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम अमल दरामद किये जाने की डिक्री की जावे। उपर्युक्त भूमि में वादी का मुरब्बा न. 58 प. नं. 107/306 के कि.नं. 3/0.051 है, कि.नं. 4/0.253 है, कि.नं. 5/0.202 है. इस प्रकार कुल 0.506 है. बारानी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 किसी अन्य को रहन, बैय हस्तान्तारण करने से बाज व ममनू रहे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए रजि. सम्मन तलब किया गया। एक माह से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण न्यायालय में हाजिर नहीं आयें। इस सूरत में प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। वादी के कथनों पर विश्वास करते हुए विवादग्रस्त भूमि मुताबिक चक 32 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर का खाता संख्या 105/146 मुरब्बा नं. 58 पं.नं. 207/306 के कि.नं. 2/2 ता 25 की कुल 5.641 है. बारानी भूमि का कब्जा काश्ता व हक एवं हिस्सा की भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि का खाता विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के परिपत्र राम/न्याय/स्था/प. 51/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 में दिये गये निर्देशानुसार पालना व तहसीलदार रायसिंहनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा इस न्यायालय के पत्र क्रमांकः रीडर/25/113 दिनांक 03. 02.2025 के संदर्भ मे अपने पत्र क्रमांकः भू.–अ./2025/1106 दिनांक 06.03.2025 द्वारा विवादग्रस्त भूमि चक 32 एनपी के खाता संख्या 105 मु.नं. 58 के कि.नं. 2/2/0.202, 3–4/0.506, 6/0.202, 7 ता 14/2.024है., 15/0.202, 16/0.202, 17 ता 20/1.012, 21 ता 24/0.912, 25/0.177 कुल 5.641 है. बारानी भूमि का विभाजन प्रस्ताव मौका रिपार्ट, नजरिया नक्शा मय जमाबंदी निम्नानुसार प्रस्तुत किया।

1. अरविन्द्र कुमार पुत्र श्री बनवारी लाल जाति बिश्नोई साकिन 55 एल.एन.पी खातेदार के हिस्सा में वाके 32 एन पी के मु.न. 58 कि.न. 3/0.051, 4/0.253, 5/0.202है. कुल 0.506 है. बारानी।
2. अमीचन्द पुत्र सुरजाराम कोम जाट सा. ठाकरी खातेदार के हिस्सा में मु.न. 58 कि.न. 21/0.202, 3/0.202, 6/.0.202 है. 7 ता 9 के 0.759 है. 10/0.045 है. कुल 1.410 है. बारानी।
3. मुखराम पुत्र सुरजाराम कोम जाट सा. ठाकरी खातेदार के हिस्सा में मु.न. 58 के कि.न. 12 ता 14 के 0.759 है.15/0.202, 16/0.095, 17/0.118, 18/.118, 19/0.118,कुल 1.410है. बारानी भूमि।
4. मोहनी देवी पत्नि भजन लाल , अश्वनी कुमार –घनश्याम, रविना पि. भजन लाल कोम जाट सा. ठाकरी खातेदार के हिस्सा में मु.न. 58 के कि.न. 16/0.107, 17/0.135 18/0.135, 19/0.135, 21/0.038, 22 ता 24 /0.684है. , 25/0.177 कुल 1.411है बारानी भूमि।
5. अनिल कुमार पुत्र दुलीचन्द , त्रिवेणीदेवी पुत्री दुलीचन्द कोम जाट सा. ठाकरी खातेदार के हिस्सा में मु.न. 58 के कि.न. 20/0.150, [illegible] 0/0.208 है. कुल 0.904 है. बारानी भूमि।

4. बहस वादी सुनी गई, बहस के दौरान वादी के [illegible] रायसिंहनगर से प्राप्त भूमि विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट दिनांक 6.03.2025 के [illegible] वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की [illegible] रायसिंहनगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की पालना रिपोर्ट [illegible] लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव, शपथ पत्र, जमाबंदी मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.30 16:44:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

—:आदेश:—

अतः अंतिम डिक्री वहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आश्य की जारी की जाती है कि वाके चक 32 एन पी तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता संख्या 105/146 के मु.नं. 58 पं.नं. 207/306 की कुल 5.641 है. बारानी खातेदारी कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:—

1. अरविन्द्र कुमार पुत्र श्री बनवारी लाल जाति बिश्नोई साकिन 55 एल.एन.पी खातेदार के हिस्सा में वाके 32 एन पी के मु.न. 58 कि.न. 3/0.051, 4/0.253, 5/0.202है. कुल 0.506 है. बारानी।
2. अभीचन्द पुत्र सुरजाराम कोम जाट सा. ठाकरी खातेदार के हिस्सा में मु.न. 58 कि. न. 21/0.202, 3/0.202, 6/.0.202 है. 7 ता 9 के 0.759 है. 10/0.045 है. कुल 1.410 है. बारानी।
3. मुखराम पुत्र सुरजाराम कोम जाट सा. ठाकरी खातेदार का हिस्सा बैंक सिडींकेंट बैंक शाखा रायसिंहनगर रहन चक 32 एनपी के मु.न. 58 के कि.न. 12 ता 14 के 0.759 है.15/0.202, 16/0.095, 17/0.118, 18/.118, 19/0.118,कुल 1.410है. बारानी भूमि।
4. मोहनी देवी पत्नि भजन लाल , अश्वनी कुमार —घनश्याम, रविना पि. भजन लाल कोम जाट सा. ठाकरी खातेदार के हिस्सा में मु.न. 58 के कि.न. 16/0.107, 17/0.135, 18/0.135, 19/0.135, 21/0.038, 22 ता 24 /0.684है. , 25/0.177 कुल 1.411है. बारानी भूमि।
5. अनिल कुमार पुत्र दुलीचन्द, त्रिवेणीदेवी पुत्री दुलीचन्द कोम जाट सा. ठाकरी खातेदार के हिस्सा में मु.न. 58 के कि.न. 21/0.190 , 20/0.253, 11/0.253है. 10/0.208 है. कुल 0.904 है. बारानी भूमि।

उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल'दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.30 16:44:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री व मुकदमेंइब्तदाई

(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)

C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायसिंहनगर

बईजलास :सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस.)

14/2024

आरएमएस : 2024/37

1. अरविन्द कुमार पुत्र श्री बनवारीलाल जाति बिश्नोई साकिन 55 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।

–:वादी

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र श्री दुलीचन्द्र जाति जाट साकिन 12 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
2. अमीचन्द्र पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट साकिन ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. अश्वनी कुमार पुत्र श्री भजनलाल जाति जाट साकिन ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राज.।
4. घनश्याम पुत्र श्री भजनलाल जाति जाट साकिन ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राज.।
5. त्रिवेणी पुत्री श्री दुलीचन्द्र जाति जाट साकिन ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राज.।
6. मुखराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट साकिन ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राज.।
7. मोहनी देवी पत्नी भजनलाल जाति जाट साकिन ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राज.।
8. रविना पुत्री भजनलाल जाति जाट साकिन ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राज.।
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। –:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 1955

तारीख रजू 22.02.2024

उपस्थितअधिवक्तागण

1. श्री अरूण कुमार अधि. वादी।
2. प्रतिवादीगण एकपक्षीय कार्यवाही।

–: निर्णय :– दिनांक : 15.07.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कताई बरूबरू हमारे ब हाजरी श्री अरूण कुमार, अधिवक्ता वादी पेश होकर हुकम दिया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती है :– वाके चक 32 एन पी तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता संख्या 105/146 के मु.नं. 58 पं.नं. 207/306 की कुल 5.641 है. बारानी खातेदारी कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:–

1. अरविन्द कुमार पुत्र श्री बनवारी लाल जाति बिश्नोई साकिन 55 एल.एन.पी खातेदार के हिस्सा में वाके 32 एन पी के मु.न. 58 कि.न. 3/0.051, 4/0.253, 5/0.202है. कुल 0.506 है. बारानी।
2. अमीचन्द पुत्र सुरजाराम कोम [illegible] 32 एनपी मु.न. 58 कि.न. 21/0.202, 3/0.202, 6/.0.202 [illegible] 0.759 है. 10/0.045 है. कुल 1.410 है. बारानी।
3. मुखराम पुत्र सुरजाराम कोम [illegible] खातेदार [illegible] बैंक सिडींकेंट बैंक शाखा रायसिंहनगर रहन चक 32 [illegible] 14 के 0.759 है.15/0.202, 16/0.0[illegible] 0.118,कुल 1.410है. बारानी भूमि।
4. मोहनी देवी पत्नि भजन लाल, अश्वनी कुमार –घनश्याम, रविना पि. भजन लाल कोम जाट सा. ठाकरी खातेदार के हिस्सा चक 32 एनपी के मु.न. 58 के कि.न.

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.30 16:44:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

16/0.107, 17/0.135, 18/0.135, 19/0.135, 21/0.038, 22 ता 24 /0.684है. , 25/0.177 कुल 1.411है. बारानी भूमि।

5. अनिल कुमार पुत्र दुलीचन्द, त्रिवेणीदेवी पुत्री दुलीचन्द कोम जाट सा. डाकरी खातेदार के हिस्सा चक 32 एनपी मु.न. 68 के कि.न. 21/0.190 , 20/0.263, 11/0.253है. 10/0.208 है. कुल 0.904 है. बारानी भूमि। रहन बदस्तुर रहेगा।

डिक्री आज दिनांक 24.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्पड्यूटी	600/–	7.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		8.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प...............		9.प्लीडर की फीस	
रूपयेपरप्लीडर की फीस		10.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
4.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		11.आदेशिका की तामील	
5.कमिश्नर की फीस		12.कमिश्नर की फीस	
6.आदेशिका की तामील			
जोड़	600/–	जोड़	

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.30 16:44:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner